

प्रेस नोट दिनांक-22.11.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 22.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम चिल्लीराकस, बस स्टैण्ड कस्बा राजापुर में, थाना एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम किहुनिया एवं कस्बा मारकुण्डी में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा गंगाजी रोड, भैरोपागा, चकरेही चौराहा शंकर बाजार में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा ग्राम कालूराम का पुरवा एवं बाजार कस्बा मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा इंदिरा नगर, पुराना मानिकपुर में मजदूरी करने वाली महिलाओं को, एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद रोड, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बस स्टैण्ड, मंदिर, विसण्डा तिराहा, अस्पताल में, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम लोरी, लोखरी में महिला अपराध की पीडिताओं से वार्ता की गयी, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा गोण्डा, गोण्डा मोड़, भरतकूप मंदिर में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा जमीरा कालोनी एवं सुचेता कालोनी में भ्रमण कर छात्राओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मिश्रित शराब एवं अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे थाना कोतवाली कर्वी पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा कर्वी कोतवाली कर्वी अन्तर्गत मंछली मण्डी मंदाकिनी नदी के किनारे से 550 किलो लहन एवं कई भट्टियां नष्ट की गयी व मौके से अभियुक्ता शिवदुलारी पत्नी कामता निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

छापेमारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. आबकारी निरीक्षक श्री विनोक कुमार राव
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
3. आबकारी मुख्य आरक्षी सूर्यप्रकाश शुक्ला
4. आबकारी आरक्षी कौशल किशोर
5. आबकारी महिला आरक्षी कविता
6. आरक्षी अरविन्द राठौर थाना कोतवाली कर्वी
7. आरक्षी अजय तिवारी थाना कोतवाली कर्वी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजीव कुमार एवं उनकी टीम द्वारा संतोष माता मंदिर शंकर बाजार से बिना नम्बर मैसी ट्रैक्टर पर अवैध गांजा ले जाते हुये अभियुक्त 1. जनक वर्मा पुत्र श्यामलाल वर्मा 2. देवनारायण पुत्र स्व0 चुन्ना प्रसाद निवासीगण नई दुनिया बनकट थाना कोतवाली कर्वी 3. विजय शंकर साहनी पुत्र दरोगा साहनी निवासी हरदौली का पुरवा टोला थाना मीरगंज जनपद गोपाल गंज बिहार 4. विद्यासागर उर्फ देवा पुत्र रुकमा बुजुर्ग एकडाडी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 42 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 613/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। बरामद शुदा ट्रैक्टर का धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

बरामदगी:-

42 किलो अवैध गांजा

बिना नम्बर के मेसी ट्रैक्टर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 शिवकुमार यादव
3. आरक्षी चालक श्याम करन मौर्य
4. आरक्षी बृजेन्द्र यादव
5. आरक्षी विपिन प्रताप सिंह
6. आरक्षी नन्दलाल
7. आरक्षी जितेन्द्र कुमार सर्विलांस सेल

(4). आज दिनांक-22.11.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मिश्रित शराब एवं अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा ग्राम अशोह, साईपुर एवं कस्बा पहाड़ी की, श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा ग्राम रसिन के देशी शराब की दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण कर दुकान के स्टॉक रजिस्टर से उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया गया एवं बिक्री की जा रही शराब के नमूने एकत्रित किये गये। इसी क्रम में श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम दिवानी का पुरवा मजरा रेरुआ में छापेमारी कर मौके से 150 किलो लहन एवं भट्टियां नष्ट की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री संदीप पटेल तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 136/2020 धारा 379/411 भादवि0 व 04/21 खान एवं खनिज अधिनियम के वांछित अभियुक्त दीपक सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी अगरहुडा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री संदीप पटेल थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह
3. आरक्षी दीपक